अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2025-हिं.अ.

दिनांक: 31.01.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी कामकाज के दौरान हिंदी में मूल पत्राचार में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 100% पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है लेकिन 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थान में मूल हिंदी पत्राचार लगभग 80.23% ही है।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.12.2025 को माननीय अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और यह निदेश दिया गया है कि **हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम है जिसमें और सुधार करने और "क", 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के साथ होने वाले मूल पत्राचार को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 100 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास किया जाए।**

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 30.04.2025 को जारी किए गए वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम **(प्रति संलग्न)** में सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों सहित संस्थान के सभी विभागों द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि करने हेतु निम्नानुसार प्रयास किए जाएं:-

1. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी अनुभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों/हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों से फाइलों/ई-ऑफिस में इलैक्ट्रॉनिक फाइलों पर हिंदी में अधिकाधिक कार्य करवाने के प्रयास किए जाएं तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों से टंकण/आशुलिपि संबंधी अधिकतर सरकारी कामकाज हिंदी में करवाया जाए।**

2. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अर्थात् सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसदीय रिपोर्ट आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।**

3. **राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में ही दिया जाए।**

4. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में दिए जाएं और 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र भी 100% हिंदी में या द्विभाषी रूप में भेजे जाएं। ।**

जारी-2/-

5. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा अपने अनुभाग/केंद्र में आने वाली सभी तरह की डाक की पावती (Receipts) तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र में दिए गए निर्देशानुसार हिंदी में ही दी जाए। इसके लिए सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा द्विभाषी रूप में डाक की पावती संबंधी मोहर बनवाकर प्रयोग में लायी जाए।**

6. **तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में टिप्पण हेतु निर्धारित लक्ष्य (80%) की प्राप्ति हेतु हिंदी पत्राचार तथा मूल पत्राचार में हिंदी को बढ़ाने के लिए फाइलों/ ई-ऑफिस में इलैक्ट्रॉनिक फाइलों पर अधिक-से-अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएं। इसके लिए ई-ऑफिस में इलैक्ट्रॉनिक फाइलों में ड्रॉपडाउन लिंक के तहत हिंदी में उपलब्ध संक्षिप्त टिप्पणियों (Short Notes) का प्रयोग भी किया जा सकता है।**

7. **संस्थान के सभी अनुभागों/विभागों/केंद्रों द्वारा संस्थान की वेबसाइट पर जो भी सूचना/परिपत्र/ज्ञापन/विषय-सामग्री अपलोड करने के लिए कंप्यूटर सुविधा को भेजी जाती है, उसे अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए।**

अतः भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य मंत्रालय तथा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन में संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सभी अनुभागों/केंद्रों आदि से अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में उपर्युक्तानुसार आवश्यक अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

दिव्या

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

<u>वितरण</u>:- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि</u>: - निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया एम्स वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

<u>नोट</u>:

- **"क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-4/2025-हिं.अ.

दिनांक: 30.04.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्यक्रम।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है। यह वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है। इस वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

क्र.सं.	कार्य विवरण	क्षेत्र	लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)/Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को From "A" to "A" 2. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को From "A" to "B" 3. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को From "A" to " C" 4. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति/ From Region "A" to Offices/individuals in States/UTs of "A" & "B" region.	100% 100% 70% 100%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना/Letters received in Hindi to be answered in Hindi.		100%
3	हिंदी में टिप्पण/Noting in Hindi.		80%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम/Training Programme through Hindi medium		75%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती/ Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers.		80%
6	हिंदी में डिक्टेशन/ की बोर्ड पर सीधे टंकण(स्वयं तथा सहायक द्वारा)/ Dictation in Hindi/Direct Typing on Key-board.(Self and by the Assistant)		70%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)/Hindi Training (Language, Typing/Stenography).		100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना/Preparation of Bilingual Training Material.		100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचारपत्र, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय/ Expenditure for the purchase of Hindi books etc., Including digital material i.e., Hindi e-books, Hindi e-newspaper,CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from English & Regional Languages out of the total Library grant, excluding journals and standard reference books.		50%

10	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद/ Purchase of all electronic equipments, including computers having Bilingual i.e. Hindi and English working facility.		100%
11	वेबसाइट द्विभाषी हो/Website bilingual.		100%
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं/ Citizen charter and display of public interface Information Board bilingual.		100%
13(I)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों(उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)/ Inspection by ministries/ Departments/ offices of their offices located outside their Headquarters and by the officers(DS/Dir/JS) and officers of OL sections (% of offices)		30% (न्यूनतम)
(II)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण / Inspections of sections at Headquarters.		30% (न्यूनतम)
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें/ Meetings of Official Language Implementation Committee regarding Official Language.	वर्ष में 04 बैठकें	प्रति तिमाही एक बैठक
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद/ Translation of Codes, Manuals, forms, procedural literature.		100%
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हों / Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Uundertakings where entire work to be done in Hindi.		45%

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान "क" क्षेत्र में आता है। अत: संस्थान के सभी केन्द्र-प्रमुख तथा विभाग/अनुभाग के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि वे वर्ष 2025-26 हेतु राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को सम्बन्धित अधिकारियों/स्टाफ के ध्यान में लाएं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किए जाएं।

इस संबंध में किसी भी प्रकार के सहयोग हेतु हिंदी अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

दिव्या

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी

<u>वितरण</u>:

- सभी केन्द्र-प्रमुख एवं विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण।
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

<u>नोट:</u>

- **"क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।**
- **"ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।**